

23/4/24 पत्रावली पेस हुई अधिवक्ता उच्च पक्ष धारित
नहीं। बार-बार आवाजे लगाई गई वार-2
आवाजे लगाने पर भी असालतन / वकालतन
कोर्ट भी पक्षकार अधिवक्ता उच्च पक्ष
धारित नहीं होते पर पत्रावली अडम फेखी
अडम धारणी में खारिज की जाती है।
पत्रावली कोसला दोकल वार वकालील
दोरिक्ल इमान हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सीबीवंगा

